09.04.2026	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। शेष निर्णीत ऋणी जिनके द्वारा पूर्व पेशी पर अदायगी हेतु अवसर चाहा गया था, आज अनुपस्थित। बार–बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु शेष निर्णीत ऋणीगण द्वारा अदायगी हेतु अपनी उपस्थित नहीं दी गई। ना ही डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर कोई अदायगी की गई। ऐसा दर्शित होता है कि डिक्रीदार नन्दलाल और रंग लाल के अतिरिक्त अन्य निर्णीत ऋणी रामलाल, रामकुंवर व शोजी अदायगी के इच्छुक नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को इस आशय का पत्र जारी हो कि शेष निर्णीत ऋणीगण की कुर्कशुदा भूमि के हिस्से के संबंध में नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर आगामी पेशी तक इस न्यायालय को रिपोर्ट पेश करे। डिक्रीदार उम्मेद सिंह की ओर से एक अण्डरटेकिंग इस आशय की न्यायालय के समक्ष पेश की गई कि प्रस्तुत इजराय के साथ ही हंसराज बनाम रंग लाल इजराय संख्या 57/20 में भी डिक्रीटल राशि के संबंध में निर्णीत ऋणी रंग लाल व नन्दलाल द्वारा संयुक्त डी.डी. पेश कर दिये गये हैं अर्थात् प्रार्थी उम्मेद सिंह के अनुसार रंग लाल द्वारा जो डी.डी. पेश किया गया है, वह उसके द्वारा अदा कीजाने वाली राशि जो दोनों ही पत्रावलियों की कुल राशि 1,60,000/– रूपये है, के संबंध में संयुक्त रूप से व इसी प्रकार नन्दलाल द्वारा भी दोनों पत्रावलियों में अदायगी योग्य राशि 1,60,000/– का एक ही डी.डी. पेश कर दिया गया है। ऐसे में उम्मेद सिंह व हंसराज ने अण्डरटेकिंग पेश कर यह सहमति प्रदान की कि चूंकि दोनों ही राशियॉ समान हैं एवं दोनों ही पत्रावलियों में समान अनुपात में डिक्रीदार को यह राशि अदा की जानी है, ऐसे में एक डी.डी. की सम्पूर्ण राशि उम्मेद सिंह के खाते में एक डी.डी. की सम्पूर्ण राशि हंसराज के खाते में जमा करवाने की सहमति दी। चूंकि दोनों पक्षों द्वारा जो अण्डरटेकिंग पेश की गई है, यदि उस अनुरूप इनके खातों में प्राप्त डी.डी. की राशि जमा करवायी जाती है तो आर्थिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है एवं दोनों पक्षों डिक्री अनुसार ही राशि प्राप्त कर रहे हैं। व्यावहारिक जटिलताओं से बचने के लिये रंग लाल द्वारा जमा करवाये गये

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)

डी.डी. की राशि डिकीदार उम्मेद सिंह और उसकी पत्नी राजन्ता के खाते में व नन्द लाल द्वारा जमा करवाये गये डी.डी. की राशि डिकीदार हंसराज व उसकी पत्नी कंचन बाई जो कि इजराय संख्या 57 / 2020 के डिकीदार है, के खातों में जमा करवाये जाने की अनुमति दी जाती है। इस अनुरूप डिकी की राशि नियमानुसार डिकीदारों के खाते में जमा हो।

पत्रावली वास्ते प्राप्त होने रिपोर्ट बाबत् राशि वसूली शेष निर्णीत ऋणीगण दिनांक 29.11.4.12.6..... को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)